

प्ररूप 50

[नियम 21 क (2)]

समूह पालन पोषण देखरेख के लिए आवेदन करने वाले पालन पोषण परिवार/ व्यक्तियों द्वारा घोषणा

मैं / हमसमूह पालन पोषण देखरेख के लिए आवेदन करते हुए यह प्रमाणित करता हूँ/ करते हैं कि :

- (i) मेरा / हमारा कोई पिछला दोषसिद्धि रिकार्ड नहीं रहा है।
- (ii) मैं हम किसी भी अनैतिक कार्य या बाल शोषण या बाल श्रम के किसी भी कार्य में शामिल नहीं रहे हैं।
- (iii) मुझे / हमें केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है।

2. यदि राज्य सरकार द्वारा अन्यथा पाया जाता है, तो मैं दांडिक कार्रवाई और तत्काल अयोग्यता के लिए उत्तरदायी रहूँगा।

(व्यक्तियों / पालन पोषण परिवार के हस्ताक्षर)

नाम और अन्य विशिष्टियां